54

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1014—तीन/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 2—06—2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल सभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 53/अपील/2009—10.

....

1—प्रेम सिंह पुत्र चकपान सिंह
2—कालीचरण 3—ध्रव
4—नरोत्तम पुत्रगण चकपान कुशवाह
5—सृष्टि 6—वर्षा पुत्री चकपान सरंक्षक मां
कशी बाई वेवा चकपान
7—कशीबाई वेवा चकपान कुशवाह
निवासी ग्राम जोरी तहसील व
जिला मुरैना म0 प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1— दिनेश सिंह पुत्र श्री किशन सिंह
निवासी पुरानी चुंगी नाका रोड
गोपालपुरा तहसील व जिला
मुरैना म0प्र0

——— अनावेदकगण

....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम0 पी0 भटनागर, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश
(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–06–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलद मुरैना के ग्राम जौरी में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 770/2 रकवा 03 विस्वा जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी चकपान पुत्र मोहन सिंह जाति काछी निवासी ग्राम जौरी थे अभिलिखित भूमिस्वामी चकपान की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित भूमि पर नामांतरण पंजी कमांक 5 दिनांक 6.11.06 से सरपंच ग्राम पंचायत जौरी जनपद पंचायत मुरैना द्वारा आवेदकगण के हक में नामांतरण स्वीकार किया गया। सरपंच ग्राम पंचात जौरी द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 25.11.06 से परिवेदित होकर अनावेदक दिनेश सिंह द्वारा अपील अनुविभागयीय अधिकारी मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 51/अपील/06–07 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 20.11.07 से स्वीकार करते हुये सरपंच ग्राम पंचायत जौरी द्वाा पारित नामांतरण आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया गया। अनावेदकगण द्वाराअनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.07 से दुखित होकर निगरानी कलेक्टर जिला मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की उनके द्वारा दिनांक 19.3.08 से प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में पहले धारा–5 के आवेदन पर सुनवाई कर उसके बाद गुण दोष पर निर्णय किया जावे। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में धारा–5 पर सुनवाई करते हुये अवधि वाह्य मानते हुये निरस्त किया गया। इससे दुखित होकर दिनेश सिंह ने अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त द्वारा सभी आदेशें को निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में आदेश पारित करें इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में सलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय से पत्रिकाओं का परिशीलन किया। प्रस्तुत

प्रकरण में एक ही विन्दु का निराकरण होना है कि नामांतरण की कार्यवाही को पुनः खोला जा सकता है अथवा नहीं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हे कि आवेदक द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक चक्रपान से विवादित भूमि वर्ष 1998 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कय की गई थी चूंकि विक्रय पत्र में स्टाम्प डयूटी कम होने के कारण जिला पंजीयक कार्यालय में कार्यवाही के दौरान आवेदक का विक्रय पत्र जमा किया गया था जबजिला पंजीयक कार्यालय से प्रकरण का निराकरण हुआ आवेदक को विक्रय पत्र वापिस किया गया। आवेदक द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि पर नामांतरण कराने बावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया कि विवादित भूमि पर पूर्व से ही नामांतरण हो चुका हैं। पटवारी अभिलेख में अमल भी हो चुका हैं चूंकि एक बार आदेश पारित होने से पुनः नामांतरण आदेश किया जाना संभव नहीं है। विचारण न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारों को सुना जाना आक्श्यक था। प्रकरण में हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है इस बात का उल्लेख अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है इससे मैं सहमत हूँ। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 2.6.11 उचित होने से स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त चंबल सभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 53/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 2.6.2011 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर